ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-II,
ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः अर्बन सर्विस/2018/ 1987 दिनांक : 02/04/2018

शुद्धि पत्र

ग्रेटर नौएडा नगरीय क्षेत्र में निर्मित आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक, व्यवसायिक एवं सामूहिक आवासीय योजनाओं/बिल्डर्स भूखण्डो के आवंटियों को जल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जल मूल्य की दरों से सम्बन्धित कार्यालय आदेश संख्याः– अर्बन सर्विस/2018/1974 दिनांक 29.03.2018 जारी किया गया था जिसमें '**सामान्य शर्तों**' के अर्न्तगत निम्न शर्त उल्लेखित की गई थी–

➢ *"वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी वार्षिक जल मूल्य जमा न कराये जाने पर 31 मार्च के बाद देय राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर, जो छमाही चकवृद्धि होगी, देय होगी।"*

उपरोक्त शर्त में ब्याज दर 12% के स्थान पर 11% पढा जाए। उक्त कार्यालय आदेश संख्याः– अर्बन सर्विस/2018/1974 दिनांक 29.03.2018 में शेष विवरण एवं शर्ते यथावत रहेगीं।

(के0 एम0 चौधरी)
प्रभारी (अर्बन सर्विस)

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी0/टी0) महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. विशेष कार्याधिकारी (वी0सी0) महोदया को अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक (सम्पत्ति/वित्त/नियोजन/परियोजना) को सूचनार्थ।
5. उप महाप्रबन्धक (वित्त/परियोजना) को सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक (अर्बन सर्विस) को सूचनार्थ।
7. प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेब साइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. शाखा प्रबन्धक, (केनरा बैंक/कारपोरेशन बैंक/इण्डियन बैंक/पंजाब नैशनल बैंक/ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स) को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जल शुल्क जमा कराने के चालानों में अंकित कराने का कष्ट करें।

02/04/18
प्रभारी (अर्बन सर्विस)